वाणिज्य विभाग

इनफ्रा-I अनुभाग

*****

आईसीडी स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री विनय कुमार, महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान (डीजीएस एंड डी) की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर, 2017 को आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त

परिचालित किए गए एजेंडा के अनुसार प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री विनय कुमार, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर, 2017 को जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली में अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1. श्री संजय चड्ढा, संयुक्त सचिव (इनफ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
2. श्री प्रभास डँसना, बेहरा, ईडी (टीटीएस), रेल मंत्रालय
3. श्री बी प्रवीण, निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
4. श्री डी के राय, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय
5. श्री जुबैर रिआज़ कमीली, निदेशक, कस्टम, सीबीईसी, राजस्व विभाग
6. श्री अंशुमाली रस्तोगी, निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय
7. श्री आर राजाकन्नू, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग

2. आईएमसी के अध्यक्ष ने सदस्य (ट्रैफिक), रेलवे बोर्ड को लिखे गए पत्र के संदर्भ में रेल मंत्रालय से लुधियाना के आसपास ट्रैफिक के अनुमानों के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया। रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि अगले 10 दिन में ट्रैफिक के विस्तृत अनुमान उपलब्ध कराए जाएंगे। आईएमसी ने किला रायपुर, लुधियाना, पंजाब में निम्नलिखित तीन प्रस्तावों पर चर्चा की और विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

एजेंडा नंबर 01 : (आस्थगित प्रस्ताव)

किला रायपुर, जिला लुधियाना, पंजाब में मैसर्स अडानी लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डीपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/12/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन मंत्रालय / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए 18 जुलाई 2016 को परिचालित किया गया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04 अगस्त, 2016 के माध्यम से सूचित किया कि उनको

कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 अगस्त, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्प्णी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 30 सितंबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 9 अक्टूबर 2017 के माध्यम से इस शर्त के अधीन अपनी सहमति से अवगत कराया है कि विकासक आईसीडी की क्रियाशीलता के लिए अपेक्षित कस्टम अधिकारियों के संबंध में हमेशा के लिए लागत वसूली प्रभार वहन करने पर सहमत होते हुए सीबीईसी को वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

आवेदक ने बिक्री विलेख / पट्टा विलेख के बदले में मुख्य स्वामी / विकासक के रूप में मैसर्स अडानी लाजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ पंजीकृत संयुक्त विकास करार (जेडीए) प्रस्तुत किया है। मैसर्स अडानी लाजिस्टिक्स लिमिटेड 77.41 एकड़ की कुल भूमि में से 18.88 एकड़ भूमि का स्वामी है। शेष भूमि मैसर्स वीएमएम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (12.62 एकड़), मैसर्स एवाई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (17.96 एकड़), मैसर्स एवाई रियाल्टर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (15.06 एकड़), मैसर्स वाईवाईए रियाल्टर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (14.16 एकड़) के नाम में है। आवेदक ने सूचित किया है कि 18.88 एकड़ की जिस भूमि पर उसका स्वामित्व है वह संस्पर्शी नहीं है जो दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि के संबंध में कसौटी है। सीबीईसी के प्रतिनिधि ने कस्टम बांडेड एरिया के रूप में ऐसी गैर संस्पर्शी भूमि को अधिसूचित करने की संभाव्यता के संबंध में अपनी आशंका भी व्यक्त की।

आवेदक ने सूचित किया कि 77.41 एकड़ की कुल भूमि पर उनका कब्जा है और शेष भूमि आवेदक की सहोदर फर्मों की हैं जिनके साथ उन्होंने संयुक्त विकास करार किया है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा आवेदक कंपनी के पक्ष में 77.41 एकड़ की संपूर्ण भूमि के लिए सीएलयू प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

आईएमसी के अध्यक्ष ने निर्धारित किया कि विकासक अपेक्षित कस्टम बांडेड एरिया को शामिल करते हुए आवेदक कंपनी के नाम में संस्पर्शी भूमि के अंतरण के संबंध में पट्टा विलेख / बिक्री विलेख प्रस्तुत कर सकता है और यह संबंधित उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में विधिवत रूप से पंजीकृत होना चाहिए। यदि पट्टा प्रदान किया जाता है तो पट्टा की न्यूनतम अवधि 15 साल से अधिक होनी चाहिए।

तद्नुसार आवेदक संशोधित लेआउट प्लान के साथ बिक्री / पट्टा विलेख प्रदान करने के लिए सहमत हुआ और अनुरोध किया कि अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर एलओआई तत्काल जारी किया जाए।

आईएमसी ने आईसीडी की स्थापना के लिए विचार करने हेतु संपूर्ण कस्टम बांडेड एरिया के सर्वे नंबर का उल्लेख करते हुए संशोधित लेआउट प्लान के साथ बिक्री / पट्टा विलेख प्रस्तुत किए जाने पर एलओआई जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जो संस्पर्शी तथा सीबीईसी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2016 - सीमा शुल्क-IV दिनांक 9 अक्टूबर 2017 के माध्यम से निर्धारित शर्तों के साथ दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए (एलओआई के साथ प्रति संलग्न करनी होगी)।

एजेंडा नंबर 02 (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम किला रायपुर, ढिल्लों, जिला लुधियाना, पंजाब में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/26/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन मंत्रालय / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए 24 अक्टूबर 2016 को परिचालित किया गया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/9/2016 -ईआर दिनांक 8 दिसंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/23/2015-पीडी-V दिनांक 06 दिसंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 9 अक्टूबर 2017 के माध्यम से इस शर्त के अधीन अपनी सहमति से अवगत कराया है कि विकासक आईसीडी की क्रियाशीलता के लिए अपेक्षित कस्टम स्टाफ के संबंध में हमेशा के लिए लागत वसूली प्रभार वहन करने के लिए सहमत होते हुए सीबीईसी को वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

आईएमसी ने सीबीईसी द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 09 अक्टूबर 2017 के माध्यम से निर्धारित शर्त के साथ एलओआई जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की (एलओआई के साथ प्रति संलग्न करनी होगी)।

एजेंडा नंबर 03 : (आस्थगित प्रस्ताव)

अहमदगढ़, लुधियाना, पंजाब में मैसर्स पंजाब लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए

आवेदन (फाइल संख्या 16/14/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन 09 दिसंबर, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/146/2016-ईआर दिनांक 21 दिसंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/4/2017-एसएम दिनांक 28 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

उत्तर रेलवे के पत्र संख्या 86 टी/पीएफटी/टीजीपी/पीएलआईएल/यूएमबी दिनांक 13 मई 2016 के माध्यम से जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के आधार पर रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 2 मार्च 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 9 अक्टूबर 2017 के माध्यम से इस शर्त के अधीन अपनी सहमति से अवगत कराया है कि विकासक आईसीडी की क्रियाशीलता के लिए अपेक्षित कस्टम स्टाफ के संबंध में हमेशा के लिए लागत वसूली प्रभार वहन करने के लिए सहमत होते हुए सीबीईसी को वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

आईएमसी ने सीबीईसी द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 09 अक्टूबर 2017 के माध्यम से निर्धारित शर्त के साथ 17.31 एकड़ की प्रस्तावित भूमि में से शेष 1.30 एकड़ भूमि के लिए सक्षम प्राधिकारी से भूमि प्रयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर एलओआई जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की (एलओआई के साथ प्रति संलग्न करनी होगी)।

विविध मुद्दे

कोंकोर के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि कोंकोर ने जून / जुलाई 2017 में सीमा शुल्क के संबंधित आयुक्त को टिही, इंदौर, मध्य प्रदेश तथा बाली, गोवा में आईसीडी की स्थापना के लिए क्षेत्राधिकार के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारीय आयुक्तालय के सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रस्तुति के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए सीबीईसी टिप्पणियां शीघ्र भेजने के लिए संबंधित कार्यालयों को निदेश जारी कर सकता है।

सीबीईसी सीधे आवेदक से आईसीडी / सीएफएस / एएफएस के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के प्रस्तावों को शीघ्रता से प्रोसेस करने के लिए अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निदेश जारी करने तथा आईएमसी

का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संशोधित प्रक्रिया के अनुसरण में संभाव्य प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने पर विचार कर सकता है।

****